# न्यायालय— न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, म०प्र० {समक्ष-अमित कुमार गुप्ता}

विविध आप०प्र०क० 07 / 2010

संस्थापित दिनांक-2010

1. श्रीमती गीतादेवी पत्नी रमेश शर्मा आयु 50 साल निवासी ग्राम बिरखडी परगना गोहद जिला भिण्ड ..... आवेदक <u>बनाम</u> रमेश पुत्र बैजनाथ शर्मा आयु 53 साल, जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम पिपाहडी तहसील गोहद जिला भिण्ड म०प्र० ....... अनावेदक <u>::- आ दे श —::</u> (आज दिनांक 27.04.2018 को पारित किया)

इस आदेश के द्वारा आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन—पत्र अंतर्गत धारा 127 दप्रसं0 1973 (जिसे अत्र पश्चात् ''संहिता'' कहा जाएगा), वास्ते अनावेदक से भरणपोषण राशि में वृद्धि कराए जाने बावत्, का निराकरण किया जा रहा है।

- 2. प्ररकण में यह तथ्य उल्लेखनीय व स्वीकृत है कि आवेदिका अनावेदक की विवाहिता पत्नी है। यह भी स्वीकृत है कि आवेदिका द्वारा अनावेदक के विरुद्ध भरण पोषण राशि दिलाए जाने हेतु एक आवेदन पत्र न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी गोहद के समक्ष विविध आपराधिक प्रकरण 7/2005 प्रस्तुत किया जिसमें दिनांक 27.03.2006 को अनावेदक से 1500 रूपये प्रतिमाह दिलाए जाने का आदेश किया गया। उक्त आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण क्रमांक 96/06 न्यायालय अपर सन्न न्यायाधीश गोहद के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें उक्त भरण पोषण राशि में वृद्धि कर 2000 रूपये प्रतिमाह कर दिया गया।
- 3. आवेदन पत्र के अभिवचन संक्षेप में इस प्रकार से है कि आवेदिका का विवाह वर्ष 1978 में अनावेदक के साथ हिन्दू रीतिरिवाज के अनुसार हुआ था। आवेदिका के शारीरिक रूप से कमजोर होने के कारण उसकी कोई संतान नहीं हुई जिससे अनावेदक उसकी मारपीट करता और दूसरी शादी करने तथा तलाक देने की धमकी देता। नवंबर 2004 में आवेदिका को अनावेदक ने घर से निकाल दिया तथा 2005 में विवाह विच्छेद हेतु प्रकरण अपर जिला न्यायाधीश गोहद के समक्ष प्रस्तुत किया। पूर्व में आवेदिका ने भरण पोषण राशि दिलाए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था जिसमें जेएमएफसी गोहद न्यायालय से 1500 रूपये प्रतिमाह, तत्पश्चात् मान० अपर सत्र न्यायाधीश गोहद के न्यायालय से 2000 रूपये का आदेश हुआ। उक्त आदेश के समय अनावेदक की वेतन 10,000 रूपये प्रतिमाह थी जो आवेदन प्रस्तुति के समय 21,150 रूपये होगयी। 2000 रूपये प्रतिमाह की राशि में आवेदिका का भरण पोषण नहीं हो पाता है, वह शारीरिक रूप से कमजोर है, अपने भाईयों पर आश्रित है। अनावेदक के पास 30 वीघा कृषि भूमि और टेक्टर भी है। अतः आवेददिका

द्वारा अनावेदक से प्राप्त हो रही भरण पोषण राशि के अतिरिक्त 20,000 रूपये प्रतिमाह दिलाए जाने की प्रार्थना की है।

4. अनावेदक की ओर से आवेदन पत्र के जबाव में आवेदिका के आवेदन में उल्लेखित तथ्यों का खण्डन करते हुए आवेदिका के शारीरिक रूप से सक्षम होने तथा उसकी कभी भी कोई मारपीट आदि करने और दूसरी शादी की धौंस दिए जाने के तथ्य से इंकार किया। आवेदिका द्वारा पत्नी धर्म का पालन न करने के कारण उसने विवाह विच्छेद का आवेदन दिया था। भरण पोषण राशि अदा करने के आदेश का पालन कर रहा है। कई बार आवेदिका भरण पोषण राशि बडाने की कार्यवाही कर चुकी है। पूर्व में हीं अत्यधिक भरण पोषण राशि दिलाई जा चुकी है। अनावेदक के पास केवल 19 वीघा कृषि भूमि हैं, उसके पास कोई टेक्टर आदि नहीं हैं। अतः प्रस्तुत आवेदन पत्र को निरस्त किए जाने की प्रार्थना की है।

## 5 प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि :—

1—क्या आवेदिका को प्राप्त हो रही भरण पोषण राशि बदली हुई परिस्थिति के कारण उसके भरण पोषण के लिए अपर्याप्त हो गयी है ?

2—क्या आवेदिका के पक्ष में भरण पोषण राशि 20,000 रूपये बडाए जाने हेतु आधार मौजूद हैं ?

3-सहायता एवं व्यय।

### सकारण निष्कर्ष

6. आवेदिका की ओर से अपने अभिसाक्ष्य में स्वयं श्रीमती गीतादेवी आ०सा 01, नरेश कुमार आ०सा० 2 तथा व्ही०एस० अनन्त आ०सा० 3 को परीक्षित कराया गया है, जबकि अनावेदक की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है।

#### विचारणीय प्रश्न कमांक 01 व 02 का निष्कर्ष

07. तथ्यों एवं साक्ष्य में उत्पन्न परिस्थितियों के निवारण हेतु एक साथ दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण किया जा रहा है। उभयपक्षों द्वारा स्वीकृत रूप से आवेदिका के पक्ष में न्यायालय अपर सन्न न्यायाधीश गोहद के आपराधिक पुनरीक्षण कमांक 96/06 में पारित आदेश दि० 04.12.06 में 2,000 रूपये प्रतिमाह की राशि दिलाए जाने का आदेश होना अभिलेख पर है। आवेदिका ने उक्त आदेश में वृद्धि के संबंध में यह प्रकरण प्रस्तुत किया है। अनावेदक की ओर से मुख्य रूप से इस तथ्य के संबंध में तर्क प्रस्तुत किया है कि आवेदिका ने मान0 अपर सन्न न्यायाधीश गोहद के आदेश दिनांक 04.12.06 को द्वितीय पुनरीक्षण एम०सी0आर०सी0 1583/07 में मान0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के समक्ष आक्षेपित किया, जिसमें मान0 न्यायालय ने दिनांक 26.09.13 को 3,000 रूपये प्रतिमाह का आदेश आवेदिका के पक्ष में दिया है, साथ ही इस प्रकरण को प्रस्तुत किया। ऐसी दशा में आवेदिका ने दोनों न्यायालयों में आदेश दिनांक 04.12.06 को चुनोती दी जिसका आधार नहीं हैं। अतः आवेदिका का आवेदन निरस्त करने की प्रार्थना की है। उक्त तर्क के संबंध में

अनावेदक द्वारा दाण्डिक पुनरीक्षण क0 165/14 अपर सत्र न्यायालय गोहद में आपित्त की गयी थी जिसमें मान0 न्यायालय द्वारा स्पष्टतः आदेश की कण्डिका 8 व 9 में निराकरण करते हुए संहिता की धारा 127 के अधीन की जाने वाली प्रक्रिया और संहिता की धारा 125 के अधीन की जाने वाली प्रक्रिया भिन्न भिन्न होने के आधार पर निष्कर्ष दिया था। उक्त आदेश दिनांक 15.02.2016 को अनावेदक द्वारा कोई चुनौती नहीं दी गयी, इस कारण से यह स्पष्ट है कि न्यायालय आवेदिका के द्वारा वांछित भरण पोषण राशि में वृद्धि का आवेदन का निराकरण करने हेतु कोई बाध्यता नहीं रखता है।

- अब प्रकरण में यह देखना हैं कि क्या आवेदिका को प्राप्त हो रही भरण पोषण राशि जो मान० उच्च न्यायालय के एमसीआरसी प्र०क० 1583/07 आदेश दिनांक 26.09.2013 प्र०डी० 1 के उपरांत 3,000 रूपये के संबंध में अपर्याप्तता के आधार पर आदेश में परिवर्तन कराने की स्थिति में हैं। आवेदिका की ओर से प्रकरण में प्रस्तुत शपथपत्र में उसके बीमार रहने के कारण और अनावेदक की आय में वृद्धि के कारण राशि बढाए जाने की प्रार्थना करती है। आवेदिका प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 2 में कथन करती है कि वह दो साल से बीमार है। प्रकरण में उसकी ओर से एक चिकित्सीय प्रमाण पत्र प्र0पी० 1 के रूप में आपित्त के अधीन प्रस्तुत किया गया। चूंकि प्र0पी० 1 के रूप में प्रदर्शित दस्तावेज कोई लोक दस्तावेज की श्रेणी में नहीं आता है और न हीं उसके निष्पादन कर्ता द्वारा साक्ष्य में उपस्थित होकर उस दस्तावेज को प्रमाणित किया है। ऐसी दशा में आवेदिका के बीमार होने के संबंध में प्र0पी0 1 का दस्तावेज कोई महत्व नहीं रखता है। आवेदिका ने कोई भी दवाई के पर्चे आदि पेश नहीं किए हैं जिनसे अभिकथित बीमार होने के तथ्य के संबंध में समर्थन होता हो। नरेश आ०सा० २ द्वारा आवेदिका के बीमार होने के संबंध में तथ्य लेख कराए हैं। नरेश आ०सा० २ अपने अभिसाक्ष्य में आवेदिका को इलाजके लिए ले जाने का कथन करते हैं, वे प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 5 में अभिकथित डाक्टर के आवेदिका के रिश्तेदार होने का तथ्य प्रकट करते हैं, जबिक आवेदिका कण्डिका 6 में उक्त चिकित्सक को उनके रिश्तेदार होने के तथ्य से इंकार कर रही है। इस प्रकार से उक्त दोनों ही साक्षियों के मध्य चिकित्सक की हितबद्धता के संबंध में विरोधाभासी तथ्य हैं।
- 09. आवेदिका की ओर से अन्य आधार अनावेदक की आय में वृद्धि का लिया गया है जिसके प्रमााणीकरण हेतु आवेदिका ने साक्ष्य में व्ही०एस0 अनन्त आ0सा0 3 को परीक्षित कराया जो अपने अभिसाक्ष्य में प्र0पी0 2 की पै स्लिप प्रस्तुत करते हैं। अपनी अभिसाक्ष्य में अनावेदक की वेसिक वेतन 59,900 बताते हैं। खण्ड शिक्षा अधिकारी के रूप में न्यायालय के आदेश से साक्षी द्वारा प्र0पी0 2 का दस्तावेज इंटरनेट से कंप्यूटर जैनेरेटेड प्राप्त किया है। ऐसे में उसकी सत्यता पर कोई अविश्वास का आधार नहीं हैं। जहां तक अनावेदक के वेतन का प्रश्न हैं तो प्र0पी0 3 के दस्तावेज में स्पष्ट है कि आयकर व अन्य कटौती के पश्चात् अनावेदक की आय वेतन के माध्यम से 51,600 रूपये

प्रतिमाह होती है। अनावेदक ने उक्त आय को खण्डित करने का कोई आधार प्रस्तुत नहीं किया है। साथ ही अभिवचनों में 19 वीघा कृषि भूमि भी उसके पास होने का तथ्य लेख किया है। ऐसे में अनावेदक की आय प्रतिमाह 51,600 रूपये से अधिक होना दर्शित है।

10. अनावेदक की आय में वृद्धि हो जाना अवश्य अभिलेख पर है, किन्तु आवेदिका के द्वारा उसके खर्ची में वृद्धि हुई हो, इस संबंध में सुदृढ़ साक्ष्य अभिलेख पर नहीं हैं। आवेदिका द्वारा उसका चिकित्सीय इलाज कराया गया हो, दवाईयां ली गयी हो, इस संबंध में साक्ष्य अभिलेख पर प्रमाणित नहीं हैं। ऐसे में उसकी आवश्यकता में वृद्धि हुई हो, ऐसा अभिलेख पर नहीं हैं। प्र०डी० 1 के आदेश के अनुसार आवेदिका 3,000 रूपये भरण पोषण राशि प्राप्त कर रही है। प्र०पी० 1 का दस्तावेज प्र०डी० 1 के आदेश के समय आवेदिका के समय मौजूद था, साथ ही मान० उच्च न्यायालय ने अनावेदक की आय में वृद्धि और आवेदिका की आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के तथ्य को ध्यान में रखते हुए 3,000 रूपये प्रतिमाह का आदेश दिया है जिसका पालन अना० कर रहा है।

#### सहायता एवं व्यय

11. उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में आवेदिका को प्राप्त हो रही भरण पोषण राशि में परिस्थितियों में परिवर्तन के आधार पर कोई वृद्धि किए जाने की कोई न्यायोचित आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। ऐसी दशा में प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 127 दप्रस विचारोपरांत निरस्त किया जाता है। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि मान0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 26.09.13 के अनुसार आवेदिका अनावेदक से पूर्वानुसार 3,000 रूपये प्रतिमाह भरण पोषण राशि प्राप्त करने की अधिकारी बनी रहेगी।

आदेश खुले न्यायालय में टंकित, हस्ताक्षरित, मुद्रांकित व दिनांकित कर पारित किया गया । मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया ।

(A.K.Gupta)
Judicial Magistrate First Class
Gohad distt.Bhind (M.P.)

Judicial Magistrate First Class Gohad distt.Bhind (M.P.)